रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत देवरिया बाईपास रोड (एस0टी0पी0 के निकट0) स्थित कियास्क संख्या–04 को ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1– देवरिया बाईपास रोड (एस0टी0पी0 के निकट) स्थित कियास्क संख्या–4 क्षेत्रफल–14.139 वर्गमीटर का आवंटन ई–नीलामी माध्यम से पाँच वर्षों के लिए किराये पर किया जायेगा। प्री–बिडिंग की प्रक्रिया लागू होगी।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए रू0–1,77,000.00 जमानत धनराशि जमा करना होगा।

3– कियास्क का न्यूनतम किराया प्रति माह रू0–9,700.00 है। विड की बीली रू0–500.00 से कम की नहीं होगी।

4– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

5– निविदा की बोली में प्रतिर्स्पधात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

6– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा।

7– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

8– निरन्तर चार माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

9– कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10– कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा।

11– नीलामी में असफल बोलीदाता को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1,000.00 मात्र की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12– कियास्क में खाद्य पदार्थ/खिलौना/आइसक्रिम आदि का व्यापार अनुमन्य होगा, तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नहीं होगा। निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

13– कियास्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा, तथा कियास्कों का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

14– किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व आवंटी का होगा।

15– कियास्क में विद्युत/पानी कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी का होगा।

# कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण।

## ई–नीलामी सूचना

रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत देवरिया बाईपास रोड स्थित कियास्क संख्या–04 को ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 12.08.2022 से दिनांक 30.08.2022 तक पंजीकरण खोला गया है। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्तें व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियममित रूप से वेबसाइट में ई–नीलामी देखते रहें, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।

(यू0पी0 सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

(प्रेम रंजन सिंह)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष